



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2014/वैशाख 12, 1936

No. 234]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2014/VAISAKHA 12, 1936

## उपराष्ट्रपति सचिवालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014

**सा.का.नि. 306(अ).**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपराष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1966 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपराष्ट्रपति सचिवालय में निम्नलिखित पदों पर भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपराष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2014 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं:** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -  
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से नियम 5 में विनिर्दिष्ट भर्ती की पद्धति किसी भी माध्यम से नियम 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार सचिवालय में पदों के वर्ग या वर्गों पर नियुक्त व्यक्तियों की शक्ति के साथ निहित प्राधिकारी अभिप्रेत है।  
(ख) "प्रतिनियुक्ति" से सचिवालय से बाहर के किसी कार्यालय का सचिवालय में किसी अधिकारी की सेवाओं का अस्थायी स्थानान्तरण और इसके विपर्ययेन जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन अंतरण की शर्तें विनियमित की जाती हों, अभिप्रेत है।  
(ग) "अधिकारी" से सचिवालय के काडर में नियुक्ति या धारित व्यक्ति अभिप्रेत है।  
(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(ड.) "सचिवालय" से उपराष्ट्रपति सचिवालय अभिप्रेत है।

(च) "उपराष्ट्रपति" से भारत का उपराष्ट्रपति अभिप्रेत है।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण केन्द्रीय सरकार में उनकी समतुल्य पंक्ति, उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची (1) से अनुसूची (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

#### 4. नियुक्ति प्राधिकारी -

(1) उपराष्ट्रपति द्वारा अनुसूची-I और अनुसूची II में विनिर्दिष्ट समूह "क" (राजपत्रित) के सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

(2) उपराष्ट्रपति के सचिव द्वारा अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट समूह "ख" (राजपत्रित और अराजपत्रित) और समूह "ग" के सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

**5. भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं आदि**- भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची -V में विनिर्दिष्ट हैं।

**6. व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### 7. निरर्हता - वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि उपराष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

**8. सेवा की शर्तें - (क) साधारण** - ऐसे अधिकारी की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले उन सभी विषयों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है तो ऐसे अधिकारियों को ऐसे नियमों द्वारा शासित किया जाएगा जो केन्द्रीय सचिवालय में तत्स्थानी वेतनमान में पद और रैंक धारण करने वाले अधिकारियों पर लागू होते हैं।

**(ख) आचरण** - प्रत्येक अधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण नियम), 1964 या जो उस सेवा को लागू होता है, जिसका वह सदस्य है ऐसे अन्य तत्स्थानी नियमों द्वारा शासित होंगे।

**(ग) अनुशासन और नियंत्रण** - प्रत्येक अधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम), 1965 या जो सेवा को लागू होता है जिसका वह सदस्य है, ऐसे अन्य तत्स्थानी नियमों द्वारा शासित होंगे और वह:-

(i) जहां तक समूह "क" के पदों का संबंध है उपराष्ट्रपति और

(ii) जहां तक समूह "ख" और समूह "ग" के पदों का संबंध है उपराष्ट्रपति के सचिव के अध्यक्षीन होंगे।

**9. विनियमन** - केन्द्रीय सरकार, उन सभी मामलों के लिए उपबंध करेगी जिनके लिए इन नियमों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन हो जो इन नियमों से अनसंगत हो, विनियम बना सकेगी।

**10. शिथिल करने की शक्ति** - जहां उपराष्ट्रपति की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के अधिकारियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

**अनुसूची - I**  
**(नियम 3 देखें)**  
**प्राधिकृत स्थायी क्षमता**

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
<b>समूह "क" राजपत्रित</b>		
1.	निदेशक	1
2.	अवर सचिव	2
<b>समूह "ख" राजपत्रित</b>		
3.	अनुभाग अधिकारी	3
<b>समूह ख अराजपत्रित</b>		
4.	सहायक	3
5.	सचिव के निजी सहायक	1
6.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1
7.	स्वागत अधिकारी	1
<b>समूह "ग"</b>		
8.	उच्च श्रेणी लिपिक	2
9.	दूरभाष प्रचालक	3
10.	अवर श्रेणी लिपिक	6
11.	स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	1
12.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	3
13.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	3
14.	स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	3
15.	सवार हरकारा	1
16.	बहुकार्य कर्मचारिवृद्ध	12
<b>घरेलू कर्मचारिवृद्ध</b>		
17.	मुख्य कुक	1
18.	हैड कुक	1
19.	बैरा	4
20.	मसालची	2

**अनुसूची - II**  
**(नियम 3 देखें)**  
**प्राधिकृत निजी कर्मचारिवृद्ध क्षमता**

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1	2	3
<b>समूह "क" राजपत्रित</b>		
1.	उपराष्ट्रपति के सचिव	1
2.	उपराष्ट्रपति के निजी सचिव	1
3.	उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी	1

**समूह "ख" राजपत्रित**

1.	उपराष्ट्रपति के सहायक निजी सचिव	1
----	---------------------------------	---

**समूह "ग"**

2.	निजी परिचर	1
----	------------	---

**अनुसूची - III****(नियम 3 देखें)****सचिवालय में विभिन्न ग्रेडों के साथ वेतनमान**

क्रम सं.	पद का नाम	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
<b>समूह "क" राजपत्रित</b>		
1.	उपराष्ट्रपति के सचिव	वे.बैं. 4- 37400-67000 रु.+10000 रु.
2.	निदेशक	वे.बैं. 4- 37400-67000 रु.+8700 रु.
3.	भारत के उपराष्ट्रपति के विशेष ड्यूटी अधिकारी	वे.बैं. 3- 15600-39000 रु.+7600 रु.
4.	भारत के उपराष्ट्रपति के निजी सचिव	वे.बैं. 3- 15600-39000 रु.+7600 रु.
5.	अवर सचिव	वे.बैं. 3- 15600-39000 रु.+6600 रु.
<b>समूह "ख" राजपत्रित</b>		
6.	भारत के उपराष्ट्रपति के सहायक निजी सचिव	वे.बैं. 3- 15600-39000 रु.+5400 रु.
7.	अनुभाग अधिकारी	वे.बैं. 2- 9300-34800 रु.+4800 रु. 4 वर्ष सेवा पूरी करने के पश्चात् (वे.बैं. 3-15600-39100 रु. में +ग्रेड वेतन 5400 रु.)
<b>समूह "ख" राजपत्रित</b>		
8.	सहायक	वे.बैं. 2- 9300-34800 रु.+4600 रु.
9.	सचिव के निजी सहायक	वे.बैं. 2- 9300-34800 रु.+4200 रु.
10.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	वे.बैं. 2- 9300-34800 रु.+4200 रु.
11.	स्वागत अधिकारी	वे.बैं. 2- 9300-34800 रु.+4200 रु.
<b>समूह "ग"</b>		
12.	उच्च श्रेणी लिपिक	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+2400 रु.
13.	दूरभाष प्रचालक	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+2000 रु.
14.	अवर श्रेणी लिपिक	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+1900 रु.
15.	स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	वे.बैं. 2- 9300-34800 रु.+4200 रु.
16.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+2800 रु.
17.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+2400 रु.
18.	स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+1900 रु.
19.	सवार हरकारा	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+1900 रु.
20.	बहुकार्य कर्मचारी	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+1800 रु.
<b>घरेलू कर्मचारिवृद्ध</b>		
21.	मुख्य कुक	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+2800 रु.
22.	हैड कुक	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+2400 रु.
23.	निजी परिचर	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+1900 रु.
24.	बैरा	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+1800 रु.
25.	मसालची	वे.बैं. 1- 5200-20200 रु.+1800 रु.

## अनुसूची - IV

## (नियम 3 देखें)

## केन्द्रीय सरकार में समकक्ष पद

क्र. सं.	उपराष्ट्रपति सचिवालय में पद का नाम	केन्द्रीय सरकार में समकक्ष पद
1.	उपराष्ट्रपति के सचिव	संयुक्त सचिव, भारत सरकार (अपर सचिव/सचिव, भारत सरकार की पंक्ति का अधिकारी द्वारा ऐसा पद धारण किया गया हो)
2.	निदेशक	निदेशक, भारत सरकार
3.	भारत के उपराष्ट्रपति के निजी सचिव	उप सचिव, भारत सरकार
4.	भारत के उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी	उप सचिव, भारत सरकार
5.	अवर सचिव	अवर सचिव, भारत सरकार
6.	भारत के उपराष्ट्रपति के सहायक निजी सचिव	साधारण केन्द्रीय सेवा के समूह "ख" (राजपत्रित)
7.	अनुभाग अधिकारी	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी
8.	सहायक	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायक श्रेणी के अधिकारी
9.	सचिव के निजी सहायक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित)
10.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित)
11.	स्वागत अधिकारी	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित)
12.	उच्च श्रेणी लिपिक	केन्द्रीय सचिवालय लिपिकिय सेवा के श्रेणी -I के अधिकारी या साधारण केन्द्रीय समूह "ग" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)
13.	दूरभाष प्रचालक	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
14.	अवर श्रेणी लिपिक	केन्द्रीय सचिवालय लिपिकिय सेवा के श्रेणी -II के अधिकारी या साधारण केन्द्रीय समूह "ग" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)
15.	स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
16.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
17.	स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
18.	स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
19.	सवार हरकारा	भारत सरकार में तत्स्थानी पद
20.	बहुकार्य कर्मचारी	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"
<b>घरेलू कर्मचारिवृद्ध</b>		
21.	मुख्य कुक/हेड कुक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"
22.	निजी परिचर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"
23.	बैरा	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"
24.	मसालची	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"

**अनुसूची - V**  
**[नियम 5 देखें]**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सचिव	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क"	वे. बैं. 4-37400-67000 रू.+ग्रेड वेतन 10000/-रू.	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार। <b>टिप्पण 1 :</b> पदधारी उपराष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहेगा। नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की पदावधि तक या जब भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तब से सह-विस्तारी आधार पर होगी। <b>टिप्पण 2 :</b> नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से की जाती है और उसे इस संबंध में जारी आदेशों के निबंधनों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परि-स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव या इसके ऊपर की पंक्ति में पद धारण किए हुए हैं। <b>टिप्पण :</b> पूर्व में भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव के पद के लिए पदधारी को उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा भारत सरकार के अपर सचिव/सचिव के पद से उच्चतर स्तर पर नियुक्त किया गया है।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भारत के उपराष्ट्रपति निजी सचिव	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क"	वे. .बैं. 3- 15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन 7600 ₹	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार। पदधारी उपराष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहेगा। नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की पदावधि तक या जब भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तब से सह-विस्तारी आधार पर होगी। (नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से की जाती है और उसे इस संबंध में जारी आदेशों के निबंधनों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(11)	(12)	(13)
ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार में अवर सचिव या इसके ऊपर की पंक्ति में पद धारण किए हुए हैं।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उपराष्ट्रपति के विशेष ड्यूटी अधिकारी	1* (2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क"	वे.बै. 3-15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 7600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार। पदधारी उपराष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहेगा। नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की पदावधि तक या जब भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तब से सह-विस्तारी आधार पर होगी। (नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से की जाती है और उसे इस संबंध में जारी आदेशों के निबंधनों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(11)	(12)	(13)
ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार में अवर सचिव या इसके ऊपर की पंक्ति में पद धारण किए हुए हैं।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक	1* (2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क"	वे. बै. 3- 37000-67000 रु. +ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति</b> : ऐसे अवर सचिव जिन्होंने ग्रेड वेतन 6600 रु. में 10 वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1</b> : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति</b> : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिनके पास बैचलर डिग्री है और जिनके पास प्रशासन, स्थापना, बजट और लेखा कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव है और:-(i) जो वेतन बैंड-4 (37400-67000 रु.)+ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य पद (पदों) पर पदधारण किए हुए हैं या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3 (15600-39100 रु.)+ग्रेड वेतन 7600 रु. में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1-</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4-</b> प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) उपराष्ट्रपति के सचिव-अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त सचिव के स्तर के भारत के उपराष्ट्रपति के विशेष ड्यूटी अधिकारी -सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर के संयुक्त सचिव या समतुल्य पंक्ति के अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं होता।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अवर सचिव	2* (2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क"	वे.वै. 3-15600-39100 रु.+ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति :</b> ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, और जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2+ ग्रेड वेतन 4800 रु. में नियमित आधार पर 6 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास प्रशासन, स्थापना, बजट और लेखा कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है।</p> <p><b>टिप्पण 1-</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस</p>	<p>समूह "क"</p> <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) निदेशक, उपराष्ट्रपति सचिवालय-अध्यक्ष</p> <p>(ii) विशेष ड्यूटी अधिकारी या भारत के उपराष्ट्रपति के निजी सचिव -सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर के उप सचिव या समतुल्य पंक्ति के अधिकारी -सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भारत के उपराष्ट्रपति के सहायक निजी सचिव	2* (2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (राजपत्रित)	वे. बं. 3-15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार पदधारी उपराष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहेगा। नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की पदावधि तक या जब भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तब से सह-विस्तारी आधार पर होगी।

(11)	(12)	(13)
ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या उपराष्ट्रपति सचिवालय में ग्रेड वेतन 4800 रु. में या इससे अधिक में पदधारण किए हुए हैं।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुभाग अधिकारी	3* (2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (राजपत्रित)	वे.बं. 2- 9300-34800 रु.+ग्रेड वेतन 4800/- रु.	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(क) 66.1/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ख) 33.1/3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति</b> : ऐसे सहायक जिन्होंने ग्रेड वेतन 4600/-रु. में दो वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1</b> : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति</b> : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, और जिन्होंने ग्रेड वेतन 4600 रु. के पद में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास प्रशासन, स्थापना, बजट और लेखा कार्य का अनुभव है।</p> <p><b>टिप्पण 1</b>: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2</b>: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3</b>: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4</b>: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p><b>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <p>(i) निदेशक उपराष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष</p> <p>(ii) अवर सचिव उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर के अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी -सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक	3* (2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (अराजपत्रित)	वे.बै. 2- 9300- 34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(क) 66.2/3 प्रतिशत प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ख) 33.1/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, और जिन्होंने ग्रेड वेतन 4200/-रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों। बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय स्वागत अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा जो पात्र अपेक्षा पूरी करते हों। यदि अधिकारी का चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 2-</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति (यथास्थिति, पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—</p> <p>(i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष</p> <p>(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

<p><b>टिप्पण 5:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक</p>	<p>1*(2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)</p>	<p>वेतन बैंड-2-9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>18-30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)</p>	<p><b>आवश्यक :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य और साथ ही डिग्री स्तर पर हिन्दी या अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या समतुल्य से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हों या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या समतुल्य से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी या हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; और (ii) हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो। <b>वांछनीय</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन और संविधान की आठवीं अनुसूची में</p>

						निर्दिष्ट हिन्दी से भिन्न किसी एक भाषा का ज्ञान। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में डिग्री या डिप्लोमा।
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हता है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p><b>समूह "ख"</b> <b>विभागीय पुष्टि समिति</b> (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष</p> <p>(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सचिव के निजी सहायक	1*(2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे. बं.-2-9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो आशुलिपिक सेवा से संबंध रखते हैं और जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

<p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्वागत अधिकारी	1* (2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बैं.- 29300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने ग्रेड वेतन 2400 रु. में 10 वर्ष नियमित सेवा की।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष</p> <p>(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

<p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायेगी।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी लिपिक	2* (2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बैं.-1-5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> ऐसा दूरभाष प्रचालक जिसने ग्रेड वेतन 2000 रु. में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p><b>समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <p>(i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय —अध्यक्ष</p> <p>(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय —सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी —सदस्य</p>	लागू नहीं होता।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दूरभाष प्रचालक	3* (2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बै. 1-5200-20200 रु.+ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति</b> : ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने ग्रेड वेतन 1900 रु. में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1</b> : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारी द्वारा संबंधित ग्रेड/पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 3</b> : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय —अध्यक्ष</p> <p>(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय —सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी —सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अवर श्रेणी लिपिक	5*(2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अनुसचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बै. 1-5200-20200 रु +ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है वहां आयु-	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता। (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 श.प्र.मि. या हिन्दी में 30 श.प्र.मि. टंकण गति। अनुज्ञात समय 10 मिनट) (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच) के अनुरूप 35 श.प्र.मि. और 30 श.प्र.मि।

					सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	<p>(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(ii) 10 प्रतिशत ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे समूह "ग" कर्मचारिवृंद में से भरी जाएंगी जिसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की या जिसके पास समतुल्य अर्हता है और जिसने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष)।</p> <p><b>टिप्पण :</b> यदि खंड</p> <p>(ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्वी वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्वी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके।</p> <p>(iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्ता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से भरी जाएंगी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800/- रु. वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है।</p>

(11)	(12)	(13)
<p>(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(ii) 10 प्रतिशत ग्रेड वेतन 1800/-रु. में ऐसे समूह "ग" कर्मचारिवृंद में से भरी जाएंगी जिसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की या जिसके पास समतुल्य अर्हता है और जिसने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।</p> <p>(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष)।</p> <p><b>टिप्पण :</b> यदि खंड</p> <p>(ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्वी वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्वी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके।</p> <p>(iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्ता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों से भरी जाएंगी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रु. वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है।</p>	<p>समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्न लिखित होंगे :-</p> <p>(i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष</p> <p>(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य रसोइया	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.वै. 1- 5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 2800/- रु.	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति :-</b> उपराष्ट्रपति सचिवालय में ऐसे रसोइया या केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठनों/आई.टी. डी. सी. होटल/सशस्त्र बल मेस में सेवारत ऐसे रसोइया जिन्होंने ग्रेड वेतन 2400 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 5:</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) अवर सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष</p> <p>(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान रसोइया	1* (2014)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.वै. 1-5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या होटल से खानपान में प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा। (ii) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार के अतिथि गृह/होटल/ सशस्त्र बल अधिकारी मेस में खाना बनाने का एक वर्ष का अनुभव। (iii) खाना बनाने जिसके अंतर्गत स्वच्छता का रखरखाव आदि भी है, के लिए व्यावसायिक कौशल परीक्षण जिसे अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति द्वारा संचालित किया जाएगा।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति</b> :- (i) ऐसे बैरा या मसालची में से चयन द्वारा जिन्होंने ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>(ii) व्यावसायिक परीक्षण, खाना पकाने जिसके अंतर्गत स्वच्छता का रख रखाव आदि भी है के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड/पद में विनिर्दिष्ट अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख से तैयार की जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति</b> -(i) केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठनों/आई.टी.डी.सी. हॉटल/सशस्त्र बलों के मेस में सेवारत ऐसे सेवारत रसोइया जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>(ii) जिनके पास खानपान का प्रमाणपत्र/डिप्लोमा है।</p> <p>(iii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।</p> <p>प्रतिनियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए :- नियुक्ति, उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार की जाएगी। पदधारी, उपराष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त तक और जब भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है या भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद पर बना रहेगा।</p>	<p>समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति</p> <p>(यथास्थिति, पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) अवर सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय-अध्यक्ष</p> <p>(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय-सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पक्ति का अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक विशेष श्रेणी	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.बै. 2-9300-34800 रु. +ग्रेड वेतन 4200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति :- ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-I से चयन द्वारा जिसने ग्रेड वेतन 2800/-रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) अवर सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष</p> <p>(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक श्रेणी-I	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.बै. 1- 5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति :-</b> ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-II से चयन द्वारा जिसने ग्रेड वेतन 2400/-रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों</p>	<p>समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) अवर सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय-अध्यक्ष</p> <p>(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय-सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी</p>	लागू नहीं होता।

सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <b>टिप्पण 2 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	-सदस्य	
--	--------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक श्रेणी-II	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.वै. 1- 5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 2400 रु.	अच्यन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<b>प्रोन्नति :</b> ऐसे स्टाफ कार चालक साधारण श्रेणी से चयन द्वारा जिसने ग्रेड वेतन 1900 रु. में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। <b>टिप्पण 1 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <b>टिप्पण 2 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) अवर सचिव उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष (ii) अनुभाग अधिकारी उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक साधारण श्रेणी	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.वै. 1- 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)	(i) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) जिसके पास मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो।

					<p><b>टिप्पण:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>(iii) मोटर के कलपुरजे का ज्ञान। (अभ्यर्थी को यान की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने का ज्ञान होना चाहिए। (iv) जिसके पास मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।</p>
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन।

(11)	(12)	(13)
<p><b>आमेलन :-</b> उपराष्ट्रपति सचिवालय के ऐसे नियमित सवार हरकारा और समूह "ग" कर्मचारियों में से जिनके पास मोटरकार चलाने के लिए सक्षमता निर्धारण करने की चालन परीक्षण के आधार पर मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है जिसके न हो सकने पर ऐसे पदधारी जो केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों में नियमित आधार पर सवार हरकारा या नियमित "ग" कर्मचारी का पद धारण किए हुए हैं और जो इस अनुसूची के स्तंभ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं।</p> <p><b>भूतपूर्व सैनिकों के लिए :</b> प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति के लिए :-</b></p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) अवर सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय - अध्यक्ष (ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय-सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सवार हरकारा	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.वै. 1- 5200- 20200 रु. +ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष	(i) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) जिसके पास मोटर साईकिल/तिपहिया स्कूटर के लिए विधिमान्य चालन

परिवर्तन किया जा सकता है।				तक की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अनुज्ञप्ति हो। (iii)तिपहिया स्कूटर के कल पुरजे का ज्ञान। (अभ्यर्थी को वाहन की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने का ज्ञान होना चाहिए) (iv) जिनके पास तिपहिया स्कूटर चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।
---------------------------	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन

(11)	(12)	(13)
<p><b>आमेलन :-</b> उपराष्ट्रपति सचिवालय के ऐसे नियमित समूह "ग" कर्मचारियों में से जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से नियमित सवार हरकारा/समूह "ग" कर्मचारियों में से जो इस अनुसूची के स्तंभ (7) में उल्लिखित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव है।</p> <p><b>भूतपूर्व सैनिकों के लिए :</b> प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति के लिए :-</b></p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) अवर सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय-अध्यक्ष</p> <p>(ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय-सदस्य</p> <p>(iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निजी परिचर	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.वे. 1- 5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	उपराष्ट्रपति के विवेकानुसार, उनके समाधान के अधीन रहते हुए नियुक्ति उपराष्ट्रपति सचिवालय के समूह "ग" कर्मचारिवृंद में से सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी। पदधारी, उपराष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त तक और उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान तक पद रिक्त हो जाने तक या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद पर बना रहेगा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद	12* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.वै. 1-5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष <b>टिप्पण</b> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) अवर सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष (ii) अनुभाग अधिकारी, उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वैरा	4* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.वै. 1-5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <b>टिप्पण</b> : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम	(i) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्था या होटल से स्टुवर्डशिप में प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा।

					तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) अवर सचिव उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष (ii) अनुभाग अधिकारी उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मसालची	2* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वे.वै. 1-5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) अवर सचिव उप राष्ट्रपति सचिवालय -अध्यक्ष (ii) अनुभाग अधिकारी उपराष्ट्रपति सचिवालय -सदस्य (iii) सचिवालय से बाहर का अनुभाग अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. स. उ.रा.स.-61/02/2014-प्रशा.]  
स्वशपवन सिंह, भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव

**VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2014

**G.S.R. 306 (E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Vice-President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1966, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment and conditions of service to the posts in the Vice-President's Secretariat, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Vice-President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definition.** - In these rules, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Appointing Authority" means the authority vested with the power to appoint persons to a class or classes of posts in the Secretariat as specified in rule 4 through any method of recruitment specified in rule 5;
  - (b) "Deputation" means the temporary transfer of the services of an officer to the Secretariat from any office outside the Secretariat and vice versa, where the terms of transfer are regulated under the orders issued by the Central Government from time to time;
  - (c) "Officer" means a person appointed to, or borne on the cadre of Secretariat;
  - (d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
  - (e) "Secretariat" means the Vice-President's Secretariat;
  - (f) "Vice-President" means the Vice-President of India.
3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** - Number of posts, their classification, their equivalent rank in Central Government, their pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in Schedule-I to Schedule-IV.
4. **Appointing Authority.** - (1) Appointment to all posts in Group "A" (Gazetted) specified in Schedule-I and Schedule-II shall be made by the Vice-President.  
(2) Appointment to all posts in Group "B" (Gazetted and Non-Gazetted) and Group "C" specified in Schedule I shall be made by the Secretary to Vice-President.
5. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in Schedules-V.
6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
7. **Disqualification.** - No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:  
Provided that the Vice-President may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
8. **Conditions of service.** - (a) **General** - In respect of all matters regulating the conditions of service of officers for which no provision has been made in these rules, the officers shall be governed by such rules as are applicable to the officers holding posts in the corresponding scale of pay and rank in the Central Secretariat.  
(b) **Conduct.** - Every officer shall be governed by the Central Civil Services (Conduct Rules), 1964, as amended from time to time, or such other corresponding rules as are applicable to the service of which he is a member.  
(c) **Discipline and control.** - Every officer shall be governed by the Central Civil Services (Classification Control and Appeal Rules), 1965, as amended from time to time, or such other corresponding rules as are applicable to the service of which he is a member and shall be subject to the general superintendence and control of - (i) The Vice-President as regards to Group "A" posts, and (ii) Secretary to Vice-President as regards to Group "B" and "C" posts.
9. **Regulations.** - Central Government may make regulations, not inconsistent with these rules to provide for all matters for which provision may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to these rules.
10. **Power to relax** - The Vice-President may, if he is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, by order and for reasons to be recorded by him in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of officers.

**SCHEDULE-I**

[ See rule 3 ]

*Authorised permanent strength*

<b>Sl.No.</b>	<b>Name of post</b>	<b>Number of posts</b>
<b>Group 'A' Gazetted</b>		
1.	Director	1
2.	Under Secretary	2
<b>Group 'B' Gazetted</b>		
3.	Section Officer	3
<b>Group 'B' Non-Gazetted</b>		
4.	Assistant	3
5.	Personal Assistant to Secretary	1
6.	Jr. Hindi Translator	1
7.	Reception Officer	1
<b>Group 'C'</b>		
8.	Upper Division Clerk	2
9.	Telephone Operator	3
10.	Lower Division Clerk	6
11.	Staff-car-Driver (Special Grade)	1
12.	Staff-car-Driver (Grade-I)	3
13.	Staff-car-Driver (Grade-II)	3
14.	Staff-car-Driver (Ordinary Grade)	3
15.	Despatch Rider	1
16.	Multi-Tasking-Staff	12
<b>HOUSEHOLD STAFF</b>		
17.	Chief Cook	1
18.	Head Cook	1
19.	Bearer	4
20.	Masalchi	2

*SCHEDULE-II*  
[ See rule 3 ]

**Authorised strength of personal staff**

Sl.No.	Name of post	Number of posts
<b>Group 'A' Gazetted</b>		
1.	Secretary to Vice-President	1
2.	Private Secretary to Vice-President	1
3.	Officer on Special Duty to Vice-President	1
<b>Group 'B' Gazetted</b>		
1.	Assistant Private Secretary to Vice-President	2
<b>Group 'C'</b>		
1.	Personal Attendant	1

**SCHEDULE-III**  
[ See rule 3 ]

**Scale of pay attached to the various grades in the Secretariat.**

Sl.No.	Name of post	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale
<b>Group-A</b>		
1.	Secretary to Vice-President of India	PB4-37400-67000 + 10000
2.	Director	PB4-37400-67000 + 8700
3.	Officer on Special Duty to Vice-President of India.	PB3-15600-39100 + 7600
4.	Private Secretary to Vice-President of India	PB3-15600-39100 + 7600
5.	Under Secretary	PB3-15600-39100 + 6600
<b>Group 'B' Gazetted</b>		
6.	Assistant Private Secretary to Vice-President of India	PB2-15600-39100 + 5400
7.	Section Officer	PB2-9300-34800 + 4800 (After completion of 4 years service in PB3-15600-39100 + Grade Pay of Rs.5400)
<b>Group 'B' Non-Gazetted</b>		
8.	Assistant	PB2-9300-34800 + 4600
9.	Personal Assistant to Secretary	PB2-9300-34800 + 4200
10.	Jr. Hindi Translator	PB2-9300-34800 + 4200
11.	Reception Officer	PB2-9300-34800 + 4200

**Group 'C'**

12.	Upper Division Clerk	PB1-5200-20200 + 2400
13.	Telephone Operator	PB1-5200-20200 + 2000
14.	Lower Division Clerk	PB1-5200-20200 + 1900
15.	Staff-car-Driver (Special Grade)	PB2-9300-34800 + 4200
16.	Staff-car-Driver (Grade-I)	PB1-5200-20200 + 2800
17.	Staff-car-Driver (Grade-II)	PB1-5200-20200 + 2400
18.	Staff-car-Driver (Ordinary Grade)	PB1-5200-20200 + 1900
19.	Despatch Rider	PB1-5200-20200 + 1900
20.	Multi-Tasking-Staff	PB1-5200-20200 + 1800

**HOUSEHOLD STAFF**

21.	Chief Cook	PB1-5200-20200 + 2800
22.	Head Cook	PB1-5200-20200 + 2400
23.	Personal Attendant	PB1-5200-20200 + 1900
24.	Bearer	PB1-5200-20200 + 1800
25.	Masalchi	PB1-5200-20200 + 1800

**SCHEDULE-IV**

[ See rule 3 ]

**POSTS EQUIVALENT TO IN THE CENTRAL GOVERNMENT**

Sl. No.	Name of post in the Vice-President's Secretariat	Equivalent to post in the Central Government
1.	Secretary to Vice-President	Joint Secretary to the Government of India (Even the post is held by the officers of the rank of Additional Secretary/Secretary, Government of India)
2.	Director	Director to the Government of India.
3.	Private Secretary to the Vice-President of India	Deputy Secretary to the Government of India.
4.	Officer on Special Duty to the Vice-President of India	Deputy Secretary to the Government of India.
5.	Under Secretary	Under Secretary to the Government of India
6.	Assistant Private Secretary to Vice-President of India	Group 'B' (Gazetted) of General Central Service.

7.	Section Officer	Section Officer of the Central Secretariat Service.
8.	Assistant	Officer of Assistant Grade in the Central Secretariat Service.
9.	Personal Assistant to Secretary	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted)
10.	Jr. Hindi Translator	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted)
11.	Reception Officer	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted)
12.	Upper Division Clerk	Officer of Grade-I of the Central Secretariat Clerical Service or General Central Service Group 'C' Ministerial (Non-Gazetted).
13.	Telephone Operator	Corresponding post in the Government of India.
14.	Lower Division Clerk	Officer of Grade-II of the Central Secretariat Clerical Service or General Central Service Group 'C' Ministerial (Non-Gazetted).
15.	Staff-car-Driver (Special Grade)	Corresponding post in the Government of India.
16.	Staff-car-Driver (Grade-I) India.	Corresponding post in the Government of India.
17.	Staff-car-Driver (Grade-II) India.	Corresponding post in the Government of India.
18.	Staff-car-Driver	Corresponding post in the Government of India.
19.	Despatch Rider	Corresponding post in the Government of India.
20.	Multi-Tasking-Staff	General Central Service Group 'C'
<b>HOUSEHOLD STAFF</b>		
21.	Chief Cook/Head Cook	General Central Service Group 'C'
22.	Personal Attendant to the Vice-President of India	General Central Service Group 'C'
23.	Bearer	General Central Service Group 'C'
24.	Masalchi	General Central Service Group 'C'

**SCHEDULE-V**  
[See rule 5]

Name of the post	Num-ber of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Secretary	1 (2014) Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'A'	PB4 37400-67000 with Grade Pay of Rs.10000/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	At the discretion of the Vice-President.  <b>Note 1:</b> Incumbent will hold post during the pleasure of the Vice-President. The appointment will be on co-terminus basis with the term of Vice-President or when the office of the Vice-President of India falls vacant, whichever is earlier.  <b>Note 2:</b> The appointment is made with the approval of the Appointment Committee of the Cabinet, Department. of Personnel and Training and shall be regulated in terms of the orders issued in this regard.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion / Confirmation Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Officers holding the post in the rank of Joint Secretary or above in the Central Government. <b>Note:</b> The incumbent to the post of Secretary to VPI in the past has been appointed at higher level to that of Addl. Secy./Secretary, Govt. of India by the Appointment Committee of the Cabinet at the discretion of the Vice-President.	Not applicable	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Private Secretary to the Vice-President of India	1* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A'	PB3 15600-39100 with Grade Pay of Rs.7600/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	At the discretion of the Vice-President. Incumbent will hold post during the pleasure of the Vice-President. The appointment will be on co-terminus basis with the term of Vice-President or when the office of the Vice-President of India falls vacant, whichever is earlier. (the appointment is made with the approval of the Appointment Committee of the Cabinet, Department. of Personnel and Training and shall be regulated in terms of the orders issued in this regard)

(11)	(12)	(13)
Officers holding the post in the rank of Under Secretary or above in the Central Government.	Not applicable	Not applicable



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Officer on Special Duty to the Vice-President	1* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A'	PB3 15600-39100 with Grade Pay of Rs.7600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	At the discretion of the Vice-President. Incumbent will hold post during the pleasure of the Vice-President. The appointment will be on co-terminus basis with the term of Vice-President or when the office of the Vice-President of India falls vacant, whichever is earlier. (the appointment is made with the approval of the Appointment Committee of the Cabinet, Department of Personnel and Training and shall be regulated in terms of the orders issued in this regard)

(11)	(12)	(13)
Officers holding the post in the rank of Under Secretary or above in the Central Government.	Not applicable	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director	1* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A'	PB-3 Rs. 37000-67000 + GP Rs. 8700	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation / absorption.

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Under Secretaries who have rendered with 10 years of regular service in the Grade Pay of Rs.6600</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Govt. possessing bachelor's degree and having at least five years experience of Administration, Establishment, Budget and Accounts and holding:-</p> <p>(i) Post(s) in PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/- or equivalent post(s) on regular basis; or</p> <p>(ii) Post(s) in PB-3 (Rs.15600-39100) with at least five years of regular service in the Grade Pay Rs.7600/-</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of -</p> <p><b>Chairman.</b></p> <p>(i) Secretary to Vice-President.</p> <p><b>Members.</b></p> <p>(i) Officer on Special Duty to Vice President of India at JS level.</p> <p>(ii) Joint Secretary or officer of Equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	Not applicable

<p>another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4 :</b> For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Under Secretary	2* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A'	PB3 15600-39100 with Grade Pay of Rs.6600	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotees.	By promotion, failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Section Officers with six years regular service in the grade..</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Govt. holding analogous post with 6 years of regular service on regular basis in parent cadre or deptt. in post in Pay Band with Grade Pay of Rs.4800 and having atleast three years experience of Administration, establishment, budget and accounts.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications</p> <p><b>Note 4 :</b> For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of —<b>Chairman.</b></p> <p>(i) Director, Vice President Secretariat. —<b>Members.</b></p> <p>(i) Officer on Special Duty or Private Secretary to Vice President of India.</p> <p>(ii) Deputy Secretary or officer of Equivalent rank from outside the Secretariat..</p>	<p>Not applicable</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Private Secretary to Vice-President of India	2* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' (Gazetted)	PB-3, 15600-39100 with Grade Pay of Rs.5400	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	At the discretion of the Vice-President. Incumbent will hold post during the pleasure of the Vice-President. The appointment will be on co-terminus basis with the term of Vice-President or when the office of the Vice-President of India falls vacant, whichever is earlier.

(11)	(12)	(13)
Officers holding the post in the Grade Pay of Rs.4800 or above in the Central Government or Vice-President's Secretariat.	Not applicable	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Section Officer	3* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' (Gazetted)	PB2 9300-34800 with Grade Pay of Rs.4800/-	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	(a) 66.1/3% by promotion failing which by deputation and (b) 33.1/3% by deputation/absorption.

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Assistants with Two years of regular service in the Grade Pay of Rs.4600</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government holding analogous post with Two years of regular service in post in Grade Pay of Rs.4600 and having experience of Administration, establishment, budget and accounts .</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of—<b>Chairman.</b></p> <p>(i) Director, Vice President Secretariat. —<b>Members.</b></p> <p>(i) Under Secretary, Vice President's Secretariat..</p> <p>(ii) Under Secretary or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant	3* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted)	PB-2, 9300-34800 with Grade Pay of Rs.4600	Not applicable	30 years. (relaxable or Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> Crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of application).	(i) Bachelor's Degree from a recognised University,

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruit & promotees.	(a) 66.2/3% by promotion/deputation  (b) 33.1/3% by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion or Deputation:</b> Officers of Central Government holding analogous post with five years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4200 and possessing the qualification for DR as at column (7) The Departmental Reception Officer meets the eligible requirement shall also be considered along with outsiders. In case the officer is selected, the same will be treated as promotion.</p> <p><b>Note 1:</b> For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission.</p> <p><b>Note 2:</b> The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion.</p> <p><b>Note 3:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 4:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 5:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion/Confirmation Committee (For considering promotion/confirmation, as the case may be) consisting of - —<b>Chairman.</b></p> <p>(i) Under Secretary, Vice President's Secretariat. —<b>Members.</b></p> <p>(i) Section Officer, Vice President's Secretariat.</p> <p>(ii) Section Officer or officer of Equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jr. Hindi Translator	1* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Ministerial (Non-Gazetted)	PB-2, 9300-34800 with Grade Pay of Rs.4200	Not applicable	18-30 years (relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) <b>Note:</b> Crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of application).	<b>Essential:</b> (i) Master's degree of a recognized University or equivalent in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level. Or Master's degree of a recognized University of equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level. Or Master's degree of a recognized university of equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as compulsory or elective subject of either or the two as a medium of examination and other as a compulsory or elective subject at degree level. <b>And</b> (ii) Recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and Vice-versa in Central or State Govt. Offices, including Government of India Undertaking. <b>Desirable:</b> (i) Knowledge at the level of Matriculation of recognized Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution. (ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognized University.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruit.	By deputation, failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<b>Deputation:</b> Officers of the Central Government holding analogous post and possessing the qualification for DR as at column (7). <b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of - —Chairman. (i) Under Secretary, Vice President's Secretariat. —Members.	Not applicable

<p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p>(i) Section Officer, Vice President's Secretariat.</p> <p>(ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
P.A. to Secretary	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Ministerial (Non-Gazetted)	PB-2, 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation.

(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government who belongs to Stenographer' Service and holding analogous post in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	Not applicable	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Reception Officer	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Ministerial (Non-Gazetted)	PB-2, 9300-34800 with Grade Pay of Rs.4200	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Upper Division Clerks with 10 years of regular service in the Grade Pay of Rs.2400</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of -</p> <p>—<b>Chairman.</b></p> <p>(i) Under Secretary, Vice President's Secretariat.</p> <p>—<b>Members.</b></p> <p>(i) Section Officer, Vice President's Secretariat.</p> <p>(ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	Not applicable

<p>1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government holding analogous post in the parent cadre/department</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Upper Division Clerk	2* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Ministerial (Non-Gazetted)	PB-1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs.2400	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Telephone Operators with five years of regular service in the Grade Pay of Rs.2000</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of -</b>  <b>—Chairman.</b></p> <p>(i) Under Secretary, Vice President's Secretariat.  <b>—Members.</b></p> <p>(i) Section Officer, Vice President's Secretariat.</p> <p>(ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Telephone Operator	3* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Ministerial (Non-Gazetted)	PB-1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2000	Non- Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion.

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Lower Division Clerks with three years of regular service in the Grade Pay of Rs.1900</p> <p><b>Note 1:</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of -</b> —<b>Chairman.</b></p> <p>(i) Under Secretary, Vice President's Secretariat. —<b>Members.</b></p> <p>(i) Section Officer, Vice President's Secretariat.</p> <p>(ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lower Division Clerk	5* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Ministerial (Non-Gazetted)	PB-1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900	Non-selection	18 - 27 years (relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> Crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of application).	(i) 12th class or equivalent qualification from recognized Board or university.  (ii) Typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer.  (Time allowed—10 minutes)  (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on a average of 5 key de-pressions for each word).

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruit	<p>(i) 85% by direct recruitment through SSC.</p> <p>(ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group C Staff in the Grade Pay of Rs.1800 and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the SC/ST).</p> <p><b>Note:</b> If more of such employees than the number of vacancies available under Clause (ii) qualified at the examination such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the</p>



		subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C employees who have 3 years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800.
--	--	--

(11)	(12)	(13)
As stated in Col.10	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of —</b> <b>—Chairman.</b>  (i) Under Secretary, Vice President's Secretariat. <b>—Members.</b>  (i) Section Officer, Vice President's Secretariat.  (ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chief Cook	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial (Non-Gazetted)	PB-1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion/Deputation

(11)	(12)	(13)
<b>Promotion or Deputation:</b> Cooks in the Vice-President's Secretariat or Cooks serving in Central / State Government organizations/ITDC Hotels/Armed Forces mess with five years of regular service in the Grade Pay of Rs.2400 <b>Note 1:</b> For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 <sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission. <b>Note 2:</b> The departmental officers in the feeder category, who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. <b>Note 3:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. <b>Note 4:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. <b>Note 5:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 <sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of -</b> <b>—Chairman.</b>  (i) Under Secretary, Vice President's Secretariat. <b>—Members.</b>  (i) Section Officer, Vice President's Secretariat.  (ii) Section Officer or officer of Equivalent rank from outside the Secretariat.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Head Cook	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial (Non-Gazetted)	PB-1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400	Non-selection	18 to 25 years (relaxable for Government Servants up to 40 years in	(i) 10 <sup>th</sup> Class pass with a certificate / diploma in catering from a recognized

					accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) <b>Note:</b> Crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.	Institute or Hotel. <b>(ii)</b> 1 year experience of cooking in Govt. /State Govt. Guest House/Hotel/ Armed Forces Officers' Mess. <b>(iii)</b> A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the departmental Promotion/Confirmation Committee to assess the suitability of the candidate.
--	--	--	--	--	---	--

<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
Not applicable	Two years for direct recruit and 'nil' for promotee.	By promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment.

<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
<p><b>Promotion:</b> (i) By Selection from Bearers or Masalchies who have rendered eleven years of regular service. (ii) A Trade Test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene etc.</p> <p><b>Note 1:</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> (i) Cooks serving in Central/State Govt. organizations/ITDC Hotels/Armed Forces mess with three years of regular service. (ii) Possessing certificate/diploma in catering. (iii) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>For Deputationist :</b></p> <p>The appointment shall be made at the discretion of the Vice-President. The incumbent shall hold the post during the pleasure of the Vice-President and shall vacate the post at the expiry of the term of the Vice-President of India or when the office of the Vice-President of India falls vacant, whichever is earlier.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee (For considering promotion/confirmation, as the case may be) consisting of -</b></p> <p><b>—Chairman.</b> (i) Under Secretary, Vice President's Secretariat.</p> <p><b>—Members.</b> (i) Section Officer, Vice President's Secretariat. (ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff-car -Driver Special Grade	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial (Non-Gazetted)	PB-1, 9300-34800 with Grade Pay of Rs.4200	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> By Selection from Staff-car-Drivers Grade-I with six years of regular service in the Grade Pay of Rs. 2800.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being Considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of –</b></p> <p><b>—Chairman,</b></p> <p>(i) Under Secretary, VP Secretariat.</p> <p><b>—Members.</b></p> <p>(i) Section Officer, VP Secretariat.</p> <p>(ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff-car -Driver Grade-I	3* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial (Non-Gazetted)	PB-1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> By Selection from Staff-car-Drivers Grade-II with five years of regular service in the Grade Pay of Rs. 2400.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of –</b></p> <p><b>—Chairman.</b></p> <p>(i) Under Secretary, VP Secretariat.</p> <p><b>—Members.</b></p> <p>(i) Section Officer, VP Secretariat.</p> <p>(ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	Not applicable

1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff-car Driver Grade-II	3* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non- Ministerial (Non-Gazetted)	P.B.1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> By Selection from Staff-car Drivers Ordinary Grade with eight years of regular service in the Grade Pay of Rs.1900.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of —</b></p> <p>—<b>Chairman.</b></p> <p>(i) Under Secretary, VP Secretariat.</p> <p>—<b>Members.</b></p> <p>(i) Section Officer, VP Secretariat.</p> <p>(ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff-car Driver Ordinary Grade	3* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non- Ministerial (Non-Gazetted)	P.B.1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable	18 to 25 years (relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) <b>Note:</b> Crucial date for determining the age limit shall be the last date of receipt of application. In case recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employ-	<p>(i) 10th passed.</p> <p>(ii) Possession of valid driving license for motor cars.</p> <p>(iii) knowledge of motor mechanism (The candidate should remove minor-defects in vehicle).</p> <p>(iv) Experience of driving a motor car for at least three years.</p>

					ment Exchange is asked to submit the names.	
--	--	--	--	--	---	--

<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
Not applicable	Two years	By deputation/ absorption failing which by direct recruitment. <b>For Ex-servicemen</b> Deputation / re-employment.

<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
<p><b>Absorption:</b> From amongst the regular Dispatch Rider and Group 'C' employees of Vice President's Secretariat who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars, failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in other Central Government Ministries / Department who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7) of this schedule.</p> <p><b>For Ex-servicemen:</b> Deputation / re-employment. The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p><b>For Deputation :</b> <b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. <b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. <b>Note 3:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For confirmation) consisting of —</b></p> <p>—<b>Chairman.</b></p> <p>(i) Under Secretary, VP Secretariat.</p> <p>—<b>Members.</b></p> <p>(i) Section Officer, VP Secretariat.</p> <p>(ii) Section Officer or officer of equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	Not applicable.

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
Despatch Rider	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non- Ministerial (Non-Gazetted)	PB1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs.1900	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> Crucial date for determining the age limit shall be the last date of receipt of application. In case recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for deter-	(i) 10 <sup>th</sup> passed (ii) Possession of valid driving license for Motor Cycle / 3W - TSR (iii) knowledge of 3W-TSR mechanism (The candidate should remove minor-defects in vehicle). (iv) Experience of driving a 2W-TSR for at least 2 years.

					mining the age limit upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	
--	--	--	--	--	---	--

<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
Not applicable	Two years	By deputation / absorption failing which by direct recruitment. <b>For Ex-servicemen</b> Deputation / re-employment.

<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
<p><b>Absorption:</b> From amongst the regular Group 'C' employees of Vice President's Secretariat, failing which from regular Dispatch Rider / Group 'C' employees from other Central Government Ministries/ Departments who possess the qualification and experience prescribed for direct recruits as mentioned in column (7) of this schedule.</p> <p><b>For Ex-servicemen:</b> Deputation / re-employment. The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p> <p><b>For Deputation:</b> <b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. <b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. <b>Note 3:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay or Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of —</b> <b>—Chairman.</b></p> <p>(i) Under Secretary, VP Secretariat. <b>—Members.</b> (i) Section Officer, VP Secretariat. (ii) Section Officer or officer of Equivalent rank from outside the Secretariat.</p>	Not applicable.

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
Personal Attendant	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non- Ministerial (Non-Gazetted)	PB-1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable	Not applicable	Not applicable

<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
Not applicable	Not applicable	At the discretion of the Vice President, the appointment is made by direct or deputation or from amongst the Group 'C' staff of Vice President's Secretariat subject to his satisfaction. The incumbent shall hold the post during the pleasure of the Vice-President and shall vacate the post at the expiry of the term of the office of the Vice-President or of the office of the Vice-President falls vacant whichever is earlier.

<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi- Tasking Staff	12* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial (Non-Gazetted)	PB1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	18 to 25 years <b>Note:</b> Crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of application).	Matriculation pass or equivalent from recognized Board.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment <b>Note:</b> vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of —</b> — <b>Chairman.</b> (i) Under Secretary, VP Secretariat. — <b>Members.</b> (i) Section Officer, VP Secretariat.  (ii) Section Officer or officer of Equivalent rank from outside the Secretariat.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bearer	4* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial (Non-Gazetted)	PB-1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	18 to 25 years (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). <b>Note:</b> Crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names.	(i) 10th Class pass with a certificate / diploma in stewardship from a recognized Institute or Hotel.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of —</b> — <b>Chairman.</b> (i) Under Secretary, VP Secretariat. — <b>Members.</b> (i) Section Officer, VP Secretariat. (ii) Section Officer or officer of Equivalent rank from outside the Secretariat.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Masalchi	2* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial (Non-Gazetted)	PB-1, 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	18 to 25 years (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	10 <sup>th</sup> Class pass or equivalent.

					Government from time to time). <b>Note:</b> Crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the employment Exchange is asked to submit names.	
--	--	--	--	--	--	--

<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
Not applicable	Two years	By direct recruitment

<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of—</b> <b>—Chairman.</b> (i) Under Secretary, VP Secretariat. <b>—Members.</b> (i) Section Officer, VP Secretariat. (ii) Section Officer or officer of Equivalent rank from outside the Secretariat.	Not applicable.

[F. No. VPS-61/02/2014-Admn.]

SWASHPAWAN SINGH, Secy.